1. मॉड्यूल और इसकी संरचना

मॉड्यूल विस्तार	
विषय का नाम	अर्थशास्त्र
पाठ्यक्रम का नाम	अर्थशास्त्र 01 (कक्षा- 11 सेमेस्टर-1)
मॉड्यूल का नाम / शीर्षक	अनौपचारीकरण तथा बेरोजगारी समस्या: पार्ट 2
मॉड्यूल आईडी	keec_10702
पूर्व-अपेक्षित	इस मॉड्यूल के अध्ययन से पूर्व विद्यार्थी को श्रम, श्रम शक्ति तथा बेरोजगारी के अर्थ के आधारभूत समझ होनी चाहिए l
उद्देश्य	इस अध्याय को पढ़ने के पश्चात , शिक्षार्थी निम्न को समझने के योग्य होगा: • औपचारिक श्रमिक तथा अनौपचारिक श्रमिकों में अंतर • संगठित तथा असंगठित क्षेत्र में रोजगार • असंगठित (अनौपचारिक) क्षेत्र में रोजगार की समस्याएं • बेरोजगारी तथा बेरोजगार की अवधारणा • बेरोजगारी के प्रकार • सरकार तथा रोजगार सृजन
मुख्य शब्द	अनौपचारिकरण, बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी

2. विकास दल

भूमिका	नाम	सम्बद्धता
राष्ट्रीय MOOC समन्वयक (NMC)	प्रो. अमरेंद्र पी बेहरा	सीआईईटी, एनसीईआरटी, नई दिल्ली
कार्यक्रम के समन्वयक	डॉ. मो. मामूर अली	सीआईईटी, एनसीईआरटी, नई दिल्ली
पाठ्यक्रम समन्वयक (सीसी) / पीआई	प्रो नीरजा रश्मि	डीईएसएस, एनसीईआरटी, नई दिल्ली
विषय वस्तु विशेषज्ञ	सुश्री आरती गोयल	डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल दिल्ली
समीक्षा दल	डॉ. हिमांशु सिंह डॉ. भारत भूषण	सत्यवती कॉलेज (सायं), दिल्ली विश्वविद्यालय श्याम लाल कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय
अनुवादक	डॉ. राजेश कुमार जांगिड	राजकीय महाविद्यालय, रेलमगर, (राजस्थान)

पाठ्यबिंदुओं की तालिका:

1. परिचय
2. श्रम शक्ति का अनोपचारीकरण
3. बेरोजगारी
4. भारत में बेरोजगारी के प्रकार
5. सरकार तथा रोजगार सृजन
6. सारांश

1. परिचय

भारत में अकस्मिक श्रमिकों का अनुपात बढ़ता जा रहा है। भारत में विकास आयोजन का एक उद्देश्य लोगों को उचित आजीविका प्रदान करना रहा है। औद्योगीकरण की रणनीति में यह कल्पना की गई थी कि कृषि से अतिरिक्त श्रमिकों को उद्योगों में लाकर उन्हें बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराया जाएगा जैसा कि विकसित देशों में हुआ है। नियोजित विकास के 65 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के बाद भी देश में श्रम शक्ति के आधे से अधिक लोग आजीविका के लिए मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर हैं। अर्थशास्त्री तर्क देते हैं कि, , समय के साथ, रोजगार की गुणवत्ता गिरी है। 10- 20 वर्ष से अधिक समय के लिए कार्य करने के पश्चात भी श्रमिकों को मातृत्व लाभ, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी तथा पेंशन के लाभ क्यों नहीं मिल रहे? क्यों एक व्यक्ति सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहे व्यक्ति की तुलना में कम वेतन पर निजी क्षेत्र में काम कर रहा है? भारतीय श्रमिकों का केवल एक छोटा अनुपात ही नियमित आय प्राप्त कर रहा है। सरकार, श्रम कानूनों के माध्यम से, उनको अपने अधिकार सुरक्षित रखने में योग्य बनाती है। श्रम शक्ति का यह भाग मजदूर संघों का निर्माण करता है, नियोजकों से बेहतर मजदूरी तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा उपायों के लिए सौदेबाजी करता है। ये कौन है?

2. श्रम शक्ति का अनौपचारिकरण

श्रम शक्ति के अनौपचारिकरण को समझने के लिए, हम श्रम शक्ति को दो श्रेणियों में विभाजित करते हैं, (I) औपचारिक क्षेत्र में श्रमिक तथा (ii) अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमिक। इन को संगठित क्षेत्र में श्रमिक तथा असंगठित क्षेत्र में श्रमिक भी कहा जाता है।

सभी सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान तथा निजी क्षेत्र के वे प्रतिष्ठान जिनमें 10 या इससे अधिक श्रमिकों को मजदूरी पर रखा जाता है, इन्हें औपचारिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान कहा जाता है तथा इन संस्थानों में कार्य करने वाले श्रमिकों को औपचारिक क्षेत्र के श्रमिक कहा जाता है। अन्य सभी उपक्रम तथा श्रमिक जो इन उपक्रमों में काम करते हैं अनौपचारिक क्षेत्र में आते हैं। इस प्रकार, अनौपचारिक क्षेत्र में लाखों किसान, कृषि श्रमिक, लघु उपक्रमों के स्वामी, तथा इन में काम करने वाले लोग सम्मिलित होते हैं। इसमें स्वरोजगार में शामिल व्यक्ति भी शामिल होते हैं, जो भाड़े का श्रमिकों नहीं रखते। खेती से भिन्न एक से अधिक नियोजक के यहां काम करने वाले जैसे निर्माण श्रमिक और सिर पर बोझा उठाने वाले श्रमिक भी इसमें सम्मिलित होते हैं। औपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के लाभ प्राप्त होते हैं। ये अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों से अधिक कमाते हैं। विकास आयोजन यह परिकल्पना करता है कि अर्थव्यवस्था के विकास के साथ, अधिक और अधिक श्रमिक औपचारिक क्षेत्र के श्रमिक बनेंगे तथा अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों का अनुपात कम होगा।

देश में लगभग 473 मिलियन श्रमिक हैं। लगभग 30 मिलियन श्रमिक औपचारिक क्षेत्र में है। देश में औपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग लगभग केवल 6 प्रतिशत है। इसी प्रकार, बाकी 94 प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्र में है। 30 मिलियन औपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों में से, केवल 6 मिलीयन महिलाएं हैं, जो इसका 21 प्रतिशत है। अनौपचारिक क्षेत्र में, श्रम शक्ति का 69 प्रतिशत पुरुष है।

1970 के दशक के आखिर से, अनेक विकासशील देशों, भारत सहित, ने अनौपचारिक क्षेत्र में उपक्रमों और श्रमिकों पर ध्यान देना आरंभ किया क्योंकि औपचारिक क्षेत्र में रोजगार नहीं बढ़ रहा है। अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों तथा उपक्रमों को नियमित आय प्राप्त नहीं होती है; इन्हें सरकार से कोई सुरक्षा या नियमन प्राप्त नहीं है। बिना क्षतिपूर्ति के श्रमिकों को पदच्युत कर दिया जाता है। अनौपचारिक क्षेत्र के उपक्रमों में तकनीक पुरानी है ; तथा ये किसी प्रकार के खाते भी नहीं रखते। इस क्षेत्र के श्रमिक मलिन बस्तियों में रहते हैं तथा अतिक्रमणकारी हैं। बाद में, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई एल ओ) के प्रयासों से, भारत सरकार ने अनौपचारिक क्षेत्र के उपक्रमों के आधुनिकीकरण तथा अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपायों के प्रावधानों की शुरुआत की।

तालिका -1 संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में रोजगार (मिलियन में)

क्षेत्र	**1983**	**1994**	**1999-2000**	**2009-10**
कुल रोजगार	302.75	374.45	397.00	460.17
संगठित क्षेत्र रोजगार	24.01	27.37	28.11	29
सार्वजनिक क्षेत्र	16.46	19.44	19.41	18
निजी क्षेत्र	7.55	7.93	8.70	11
असंगठित क्षेत्र रोजगार	278.7	347.08	368.89	431

स्रोत: रेनाना झबवाला, रत्ना एम सुदर्शन एंड जीमोल उन्नी (एडिटेड) इनफॉरमल इकोनामी एट स्टेज: न्यू स्ट्रक्चर ऑफ एंप्लॉयमेंट, सेज पब्लिकेशन, न्यू दिल्ली, 2003, पृष्ठ संख्या 265

तालिका-1 में संगठित तथा असंगठित क्षेत्र में रोजगार को दर्शाया गया है। जैसा की तालिका से स्पष्ट है, समय के साथ असंगठित क्षेत्र द्वारा रोजगार प्रदान करने में उछाल है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र तथा संगठित क्षेत्र में यह लगभग स्थिर है। असंगठित क्षेत्र का हिस्सा प्रतिशत रूप में बढ़ा है, जबकि संगठित क्षेत्र ने हाल की अवधि में पर्याप्त रोजगार सृजित नहीं किये है l

3. बेरोजगारी

बेरोजगारी का तात्पर्य वही स्थिति है जहां ऐसे व्यक्ति है जो काम करने के योग्य है (शारीरिक और मानसिक दृष्टि से काम करने के लिए उपयुक्त है) तथा काम करना चाहता है, लेकिन प्रचलित मजदूरी दर पर रोजगार प्राप्त करने में असफल रहते हैं। राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण संगठन (एन एस एस ओ) बेरोजगारी को उस स्थिति के रूप में परिभाषित करता है जिसमें, वे सभी जिनके पास काम नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं लेकिन प्रचलित पारिश्रमिक और कार्य की दशाओं पर रोजगार कार्यालयों, मध्यस्थों, मित्रों या रिश्तेदारों या संभावित नियोजकों को आवेदन करने या काम करने की इच्छा व्यक्त करते हैं या काम के लिए उपलब्ध रहते हैं। बेरोजगार व्यक्ति को पहचानने के कई तरीके हैं। अर्थशास्त्री बेरोजगार व्यक्ति के रूप में उस व्यक्ति को परिभाषित करते हैं जो व्यक्ति आधे दिन में एक घंटा भी रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता।

रोजगार पर समंको के तीन स्रोत हैं।

- भारत की जनसंख्या संबंधी रिपोर्ट
- राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण संगठन की रोजगार तथा बेरोजगार स्थिति पर रिपोर्ट, तथा
- रोजगार और प्रशिक्षण निदेशालय के रोजगार कार्यालय में पंजीयन के समंक।

यद्यपि ये बेरोजगारी के विभिन्न अनुमान उपलब्ध कराते हैं, ये हमें देश में विद्यमान बेरोजगारी की विशेषताएं तथा बेरोजगारी के प्रकारों की जानकारी कराते हैं।

4. भारत में बेरोजगारी के प्रकार

हमारे देश में विभिन्न प्रकार की बेरोजगारी प्रचलित है, इन का विवरण निम्न प्रकार है:

(i) संरचनात्मक बेरोजगारी : संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण उपलब्ध कार्यों और बेरोजगार व्यक्तियों के मध्य कौशल के सामंजस्य का अभाव है। इसका कारण अर्थव्यवस्था की संरचना में कोई बड़ा परिवर्तन, जैसे विऔद्योगीकरण, या अर्थव्यवस्था की ढांचागत संरचना में कुछ अन्य परिवर्तन, जिसके कारण नए उद्योगों में एक भिन्न तरह के कौशल की आवश्यकता होती है, उस कौशल के अभाव के कारण कुछ बेरोजगार श्रमिक रोजगार पाने में असमर्थ होते हैं। ढांचागत परिवर्तन या तकनीकी परिवर्तन के कारण कुछ श्रमिक यह पाते हैं कि उनके पास उपलब्ध कौशल, उत्पादन की नई तकनीक या नए उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप उपलब्ध नहीं है। इन श्रमिकों की बेरोजगारी को ढांचागत बेरोजगारी कहा जाता है। वैश्वीकरण तथा उसके परिणाम स्वरुप अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता ढांचागत बेरोजगारी का कारण हो सकती है।

(ii) खुली बेरोजगारी: लोग अखबारों में रोजगार देखते हैं। कुछ लोग मित्रों तथा रिश्तेदारों के माध्यम से रोजगार खोजते हैं। कई शहरों में, आप लोगों को किसी विशेष स्थान पर खड़े देख सकते हैं जो उस दिन के लिए उन्हें रोजगार प्रदान करने वाले लोगों की तलाश में होते हैं। कुछ लोग कारखानों तथा कार्यालय में जाते हैं तथा अपना जीवन–वृत्त देकर रोजगार के लिए पूछते हैं किंतु कोई काम नहीं होने के कारण घर पर रहते हैं। कुछ रोजगार कार्यालय में जाते हैं तथा रोजगार कार्यालयों के माध्यम से सूचित रिक्तियों के लिए अपना पंजीयन कराते हैं । ऊपर वर्णित स्थिति को खुली बेरोजगारी कहा जाता है।

(iii) छिपी हुई बेरोजगारी: इस प्रकार की बेरोजगारी खुली नहीं होती तथा व्यक्ति ये महसूस नहीं करते है कि वह बेरोजगार हैं, यद्यपि तकनीकी रूप में वह बेरोजगार होता हैं। भारत में कृषि में विद्यमान बेरोजगारी को अर्थशास्त्री छिपी बेरोजगारी कहते हैं। मान लीजिए एक किसान के पास 4 एकड़ खेत है तथा वर्ष भर में कृषि में विभिन्न कार्यों के लिए वास्तव में वह स्वयं तथा केवल दो और श्रमिकों की आवश्यकता है, किंतु वह पांच श्रमिकों तथा उसकी पत्नी और बच्चे जैसे परिवार के लोगों को इस कार्य में लगा लेता है, तो इस स्थिति को छिपी बेरोजगारी कहा जाता है। इसके विपरीत, यदि कुछ श्रमिकों को कार्य से हटा दिया जाए, तो कुल उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका तात्पर्य यह है कि ये हटाए हुए श्रमिक वास्तव में कुल उत्पादन में कोई योगदान नहीं कर रहे थे, तथा इसलिए, वे तकनीकी रूप से बेरोजगार हैं, जबकि वह स्पष्ट रूप से रोजगार में दिखाई पड़ते हैं। 1950 के दशक के आखिर में आयोजित एक अध्ययन ने दर्शाया कि भारत में लगभग एक तिहाई कृषि श्रमिक छिपे बेरोजगार थे। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी के अधिक प्रभाव का कारण संभवतया संयुक्त परिवार प्रणाली तथा वैकल्पिक रोजगार के स्रोतों का अभाव है । सापेक्ष रूप में तेजी से बढ़ते हुए द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में श्रम अवशोषण की कमजोर स्थिति के कारण, किसान अपने आपको पारिवारिक खेती के कार्य में ही व्यस्त रखने को बाध्य है, जो कि, कभी कभी, भू जोतों के उप विभाजन के कारण और छोटे होते जाते है।

(iv) मौसमी बेरोजगारी: कई लोग शहरी क्षेत्रों में करते हैं, कोई काम लेते हैं तथा कुछ समय वहां रुकते हैं, किंतु जैसे ही वर्षा का मौसम शुरू होता है वे अपने गृह गांव की ओर वापस आ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कृषि में कार्य की प्रकृति मौसमी होती है;वर्ष के सभी महीनों में गांव में रोजगार के अवसर नहीं होते। फसल की बुवाई तथा कटाई जैसे मौसम के दौरान सभी व्यस्त होते हैं तथा रोजगार का स्तर ऊंचा होता है। किंतु कम काम के मौसम भी होते हैं जैसे, फसल की बुवाई तथा कटाई के मध्य की अवधि, जब अधिकांश लोगों के पास पर्याप्त कार्य नहीं होता और वे बेरोजगार होते हैं। यह अनुमान किया गया है, की एक किसान जो अपने खेत में वर्ष में केवल एक ही फसल उगाता है तो उसे वर्ष में लगभग 5 से 7 महीने बिना रोजगार के रहा पड़ता है। जब किसान के पास खेत में करने के लिए कोई काम नहीं होता, तो वह रोजगार की तलाश में शहर की तरफ चले जाते हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी जाना जाता है। भारत में सामान्य प्रचलित बेरोजगारी में से यह भी एक है।

(v) औद्योगिक बेरोजगारी: औद्योगिक बेरोजगारी वह स्थिति है जब लोग उद्योगों या विनिर्माण क्षेत्र में कार्य करने के योग्य होते हैं लेकिन कार्य पाने में असमर्थ होते हैं। औद्योगिक बेरोजगारी का मुख्य कारण जनसंख्या का लगातार बढ़ता दबाव है, किंतु विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार अवसरों के सृजन की दर निराशाजनक रूप से नीची है। ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की और जनसंख्या के की बढ़ती प्रवृत्ति ने इस समस्या को और अधिक गंभीर कर दिया है। यह भी कहा जा सकता है कि औद्योगिक बेरोजगारी, ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी तथा विनिर्माण क्षेत्र में कमजोर श्रम अवशोषण की दर का प्रभाव है। विनिर्माण क्षेत्र में कमजोर श्रम अवशोषण का कारण श्रम बचतकारी मशीनों का अत्यधिक उपयोग किया जाना है ।

(vi) शिक्षित बेरोजगारी: इस प्रकार की बेरोजगारी तब होती है जब लोग शिक्षित होने के बावजूद रोजगार पाने में असफल रहते हैं। यह स्थिति बहुत अधिक निराशाजनक होती है तब जबकि शिक्षा पर महत्वपूर्ण मात्रा में श्रम तथा धन निवेश किया गया है, के पश्चात लोग रोजगार पाने में असफल होते हैं। दूसरी ओर, यह देश के संसाधनों की हो रही बर्बादी को बढ़ाता है। जब शिक्षित युवा रोजगार पाने में असफल होता है, कभी कभी उनका रुझान समाज विरोधी तथा गैर कानूनी गतिविधियों की ओर हो जाता है। भारत में शिक्षित बेरोजगारी के दो प्रमुख कारण हैं। एक, शिक्षा युवाओं में रोजगार क्षमता वृद्धि करने में असफल रही है। इन दिनों, यह बहुत अधिक चर्चा का विषय है। बहुत सारे उद्योगपति यह राय रखते हैं कि भारत में शिक्षा व्यवस्था को इस तरह से बदलने की आवश्यकता है ताकि शिक्षित युवाओं में रोजगार क्षमता की बढ़ोतरी की जा सके। दूसरा कारण यह है कि रोजगार में वृद्धि की दर शिक्षित श्रम शक्ति में वृद्धि की दर के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकी।

5. सरकार तथा भारत में रोजगार सृजन

आजादी के बाद से ही, संघ तथा राज्य सरकारों ने रोजगार या रोजगार सृजन के लिए अवसर सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। इनके प्रयासों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष। प्रथम श्रेणी में, सरकार विभिन्न विभागों में प्रशासन के उद्देश्य से लोगों को रोजगार देती है। ये उद्योगों, होटलों तथा परिवहन कंपनियों का भी संचालन करते हैं और इस प्रकार इन्होंने श्रमिकों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराए । जब सरकारी उपक्रमों से वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि हुई, तो निजी उपक्रम जो राजकीय उपक्रमों से कच्चा माल प्राप्त करते हैं ने भी अपना उत्पादन बढ़ाया और इस प्रकार अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसरों में वृद्धि की। उदाहरण के लिए, जब सरकार की स्टील कंपनी में उत्पादन वृद्धि होती है, तो इसका परिणाम सरकारी कंपनी में रोजगार में प्रत्यक्ष वृद्धि के रूप में होता है। साथ ही, निजी कंपनियां, जो इनसे स्टीलखरीद करती हैं,

अपने उत्पादन को बढ़ाएंगे तथा रोजगार को भी। यह अर्थव्यवस्था में सरकार की पहल के द्वारा अप्रत्यक्ष रोजगार अवसर सृजन है।

विस्तारित होते स्वरोजगार कार्यक्रमों तथा मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों को गरीबी तथा बेरोजगारी निवारण के प्रमुख तरीकों के रूप में माना जा रहा है। स्वरोजगार कार्यक्रमों के उदाहरणों में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर ई जी पी), प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी एम आर वाई) तथा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस जे एस आर वाई) हैं। प्रथम कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसरों को सृजन करना है। खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग (के वी आई सी) इसे लागू कर रहा है। इस कार्यक्रम के अधीन, कोई लघु उद्योगों की स्थापना के लिए बैंक ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत शहरी अथवा ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित कोई भी कम आय वर्ग परिवार से शिक्षित बेरोजगार रोजगार सृजन के लिए उपक्रमों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार तथा मजदूरी रोजगार के रूप में रोजगार अवसर सृजित करने का है। पूर्व में, स्वरोजगार कार्यक्रमों के अधीन व्यक्ति अथवा परिवार को वित्तीय सहायता दी जाती थी। 1990 के दशक से, इस दृष्टिकोण को बदल दिया गया। अब जो इन कार्यक्रमों से लाभ उठाना चाहते हैं को स्व सहायता समूह बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। प्रारंभ में उन्हें कुछ धन बचत करने तथा आपस में छोटे लोन देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बाद में, बैंकों के माध्यम से, सरकार स्व सहायता समूह (एस एच जी) को आंशिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है जो यह निश्चय करती है की स्वरोजगार गतिविधियों के लिए किसको ऋण दिया जावे। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस जी एस वाई) इसी तरह का एक कार्यक्रम है। अब इसको राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन आर एल एम) के रूप में पुनर्गठन कर दिया गया है। शहरी क्षेत्र के गरीबों के लिए एक इसी तरह का कार्यक्रम बनाया गया है जिसका नाम राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है। सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले अकुशल गरीब लोगों के लिए अनेक प्रकार के मजदूरी रोजगार सृजन के कार्यक्रम चलाए जा रहे है। वर्ष 2005 में, प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिसका वयस्क सदस्य अकुशल मानव श्रम करने का इच्छुक है, को वर्ष में न्यूनतम 100 दिन के लिए मजदूरी रोजगार की गारंटी देने वाला एक नया अधिनियम संसद द्वारा पास किया गया। इस अधिनियम का नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एम एन आर ई जी ए) है। यह अधिनियम सरकार द्वारा की गई प्रमुख रोजगार पहल है जिसका उद्देश्य काम के अधिकार की गारंटी देना है। इस अधिनियम के अधीन, गरीबों में वे सभी व्यक्ति जो न्यूनतम मजदूरी पर काम करने को तत्पर हैं जिन क्षेत्रों में यह कार्यक्रम चल रहा है कार्य के लिए रिपोर्ट कर सकते हैं। यह मांगने पर दिए जाने वाले मजदूरी रोजगार और इस प्रकार, ग्रामीण लोगों के लिए सुरक्षा जाल सुनिश्चित करने वाली अपने प्रकार की पहली योजना है। इस कार्यक्रम द्वारा केवल रोजगार सृजन ही नहीं हुआ अपितु ग्रामीण आधारभूत संरचना जैसे वाटर हार्वेस्टिंग, सूखा राहत, बाढ़ नियंत्रण का विकास हुआ है। मनरेगा मुख्यत: ग्राम पंचायतों द्वारा लागू किया जाता है। मनरेगा रोजगार अवसरों का सृजन करने वाले मुख्य उद्देश्य के अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण, शहरी ग्रामीण प्रवसन को रोकने, तथा सामाजिक समानता को बढ़ावा देने मैं भी प्रभावी सिद्ध हुआ है। नरेगा ने ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर श्रम प्रवसन को रोका है।

अन्य महत्वपूर्ण पहल वह नई रणनीति है जो मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आदि कार्यक्रमों के संदर्भ में सरकार द्वारा लागू की गई है। यह नई पहल रोजगार समस्या को नए ढंग से हल करने के लिए है। कुछ यह विश्वास करते हैं कि हम उस युग में रह रहे हैं जहां काम की तलाश की अपेक्षा हमें काम सृजन करने की आवश्यकता है। आज युवाओं के लिए, वास्तविक प्रसन्नता वेतन पाने में नहीं है, उनकी प्राथमिकता अपने नए विचारों और दृष्टि को वास्तविकता में बदलने की होती है। यह कार्यक्रम युवाओं की संभाव्य को बहुत प्रभावी तथा प्रतियोगी तरीके से उपयोग में लाता है। इस तरह के कार्यक्रमों की सहायता से, अल्प अवधि में, अर्थव्यवस्था में कई प्रेरक सफलता की कहानियां जैसे पेटीएम, ओला, ओयो रूम्स, यात्रा

डॉट कॉम और इसी प्रकार देखी है । इन सभी कार्यक्रमों का उद्देश्य केवल रोजगार उपलब्ध कराना नहीं है किंतु प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण पीने का पानी, पोषण, सड़कों का निर्माण, व्यर्थ भूमि का विकास और इसी प्रकार के अन्य क्षेत्रों में सेवा करना है।

6. सारांश

आर्थिक सुधारों के बाद की अवधि में, भारत में सेवा क्षेत्र में रोजगार अवसरों को देखा है। ये नए रोजगार मुख्य रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में पाए जाते हैं तथा इन रोजगारों की प्रकृति आकस्मिक है। देश में औपचारिक क्षेत्र के नियोजक में सरकार मुख्य है। रोजगार प्राप्त करने के लिए कौशल प्राप्त करना तथा प्रशिक्षण से गुजरना महत्वपूर्ण है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी हुई बेरोजगारी बेरोजगारी का सामान्य रूप है। भारत में श्रम शक्ति की संरचना में परिवर्तन हुआ है। अनेक योजनाओं और नीतियों के माध्यम से सरकार रोजगार सृजन के लिए पहल कर रही है।